[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर,2017

संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017

आदेश 01/2017- संघ-राज्य क्षेत्र कर

का. आ. (अ).- जहाँ कि संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों से है;

अतः अब संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतत् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

1. इस आदेश को संघ-राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतत् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

(ii) आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरयू]

(रूचि विष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार